19

(प्रपत्र–6)

परियोजना का नाम – मा0 मुख्यमंत्री जी की घोषणा सं0 210/2013 के अन्तर्गत जनपद देहरादून के विधानसभा क्षेत्र विकासनगर के अन्तर्गत भलेर–काण्डोई–मदर्सू मार्ग का नव निर्माण हेतु 1.610 है0 वन भूमि का लोक निर्माण विभाग को हस्तान्तरण।

(लम्बाई– 4.00 किमी0)

संयुक्त निरीक्षण रिपोर्ट (प्रमाण–पत्र)

प्रमाणित किया जाता है कि आज दिनांक 03/02/2021 को प्रश्नगत प्रयोजना के लिए वन भूमि प्रत्यावर्तन प्रस्ताव तैयार करने हेतु संयुक्त निरीक्षण किया गया। संयुक्त निरीक्षण के समय वन विभाग के श्री रीडकू सिंह रावत वन दरोगा, श्री बाबू सिंह उप राजिक लांघा रेंज एवं राजस्व विभाग के प्रतिनिधि एवं प्रस्तावक विभाग के श्री महिपाल सिंह रावत अमीन, नि0ख0 लो0नि0वि0 देहरादून द्वारा उपरोक्त परियोजना को बनाने हेतु सर्वश्रेष्ठ समरेंखण के चयन तथा अन्य वैकल्पिक समरेंखण के चयन हेतु भाग लिया गया।

संयुक्त निरीक्षण में पाया गया कि सामाजिक अवश्यकता, परिस्थितिक आवश्यकता, आर्थिक मितव्यता तथा तकनीकी आवश्यकता की दृष्टि से जो समरेंखण सर्वथा उपयुक्त पाया गया है जिसमें 7.00 मी0 चौडाई एंव 1700 मी0 लम्बाई में नाप भूमि, 7.00 मी0 चौडाई 1965 मी0 लम्बाई में आरक्षित वन भूमि एवं 7.00 चौडाई 315 मी0 लम्बाई में सिविल सोयम भूमि प्रभावित होगी। इस समरेंखण के चयन में कुल (सडक एवं डम्पिंग हेतु) 1.1900 है0 नाप भूमि, 0.2205 है0 सिविल सोयम भूमि तथा 1.3895 है0 आरक्षित वन भूमि की आवश्यकता होगी। जिसमें से कुल 1.6100 है0 भूमि के हस्तान्तरण की आवश्यकता होगी। इस चुने गये समरेंखण पर 7.00 मी0 चौडाई में वृक्षों की गणना की गई जिसमें विभिन्न प्रजातियों के 83 वृक्ष आरक्षित वन भूमि तथा 123 वृक्ष नाप भूमि (कुल 206 वृक्ष) परियेाजना के निर्माण में प्रभावित होगें। जिसमें बांज प्रजाति का कोई भी वृक्ष प्रभावित नहीं हो रहा है।

इस समरेंखण की तुलना में जो वैकल्पिक समरेंखण देखा गया उसमें 7.00 मी0 चौडाई एंव 1700 मी0 लम्बाई में नाप भूमि, 2475 मी0 चौडाई 7.00 मी0 लम्बाई में आरक्षित वन भूमि तथा 7.00 मी0 चौडाई 325 मी0 लम्बाई में सिविल सोयम भूमि प्रभावित होगी। इस समरेंखण के चयन में कुल 1.1900 है0 नाप भूमि, 0.2275 है0 सिविल सोयम भूमि तथा 1.7325 है0 आरक्षित वन भूमि प्रभावित होगी। जिसमें से कुल 1.9600 है0 भूमि के हस्तान्तरण की आवश्यकता होगी। इस चुने गये समरेंखण पर 7.00 मी0 चौडाई में कुल 428 वृक्ष परियेाजना के निर्माण में प्रभावित होगें। जिसमे बांज प्रजति के शून्य वृक्ष प्रभावित होगें।

अतः परियोजना के निर्माण हेतु चयनित विकल्प संख्या–प्रथम के वनभूमि के अतिरिक्त अन्य वैकल्पिक एंव उपयुक्त भूमि उपलब्ध नही है तथा इस चुने गये समरेंखण में वनभूमि की मांग न्यूनतम है।

चयनित उपयुक्त समरेंखण वन लांघा रेंज से गुजरता है। इस कक्ष की वर्तमान वन आच्छादन 0.3 है एंव इस कक्ष में विभिन्न, प्रजाति के वन है। समरेंखण 1 के निर्माण में 206 वृक्ष प्रभावित हो रहे हैं।

चुने गये समरेंखण का प्रारम्भ होने का स्थल का GPS का मान 77°54'28.916''E 30°30'10.390''N से प्रारम्भ होता है तथा समरेंखण का अन्तिम बिन्दू का GPS का मान 77°53'54.400''E , 30°31'35.104''N है। चुने गये समरेंखण के बीच के स्थल का GPS मान 77°54'24.143''E , 30°30'44.639''N है।

चयनित समरेंखण में कुल ..... पौधों को अन्य स्थान पर स्थान्तरित किया जाना आवश्यक होगा।

चयनित समरेंखण किसी राष्ट्रीय पार्क/वन्य जीव अभ्यिारण का हिस्सा नही हैं।

चयनित समरेंखण के चयन से ग्रामवासियों के परम्परागत अधिकारों का हनन नही होगा।

इस समरेंखण पर सडक मार्ग के निर्माण के दौरान जो मलवा उत्सर्जित होगा उसके निस्तारण हेतु मक डिस्पोजल स्थल उपयुक्त पाये गये जिनका का GPS मान डिजिटल गूगल मानचित्र में दर्शाये गये हैं।

अतः उक्त संयुक्त निरीक्षण आख्या आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेसित है।

प्रयोक्ता एजेन्सी — सहायक अभियन्ता–I, निर्माण खण्ड लो०नि०वि०, देहरादून

राजस्व विभाग प्रतिनिधि, क्षेत्र.................... — राजस्व उप निरीक्षक

अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड लो०नि०वि०, देहरादून।

वन विभाग प्रतिनिधि — उप राजिक

M. S.

वन क्षेत्राधिकारी — वन क्षेत्राधिकारी, लांघा रेंज, लांघा

तहसीलदार — तहसीलदार, विकासनगर।

उपजिलाधिकारी — उपजिलाधिकारी, विकासनगर

उप–प्रभागीय वनाधिकारी — उप–प्रभागीय वनाधिकारी, सहसपुर उप वन प्रभाग, कालसी।

प्रति हस्ताक्षरित
जिलाधिकारी
देहरादून — जिलाधिकारी, देहरादून।

प्रति हस्ताक्षरित
प्रभागीय वनाधिकारी
भूमि संरक्षण वन प्रभाग, कालसी — प्रभागीय वनाधिकारी, भूमि संरक्षण वन प्रभाग, कालसी।